

भारतीय मानक ब्यूरो
(हिंदी विभाग)

संदर्भ : हिंदी /प्रशि./ 2024-25

दिनांक: 25.06.2024

विषय : हिंदी भाषा प्रशिक्षण के जुलाई-नवंबर 2024 सत्र हेतु नामित करना।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वर्तमान लक्ष्य के अनुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिन्दी शिक्षण योजना के पत्र संख्या 3/8/2022-23 उनि. (मध्य) /789 दिनांक 23/4/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि हिंदी भाषा प्रशिक्षण का आगामी सत्र जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो रहा है जिसका कार्यक्रम संलग्न है।

विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि उनके विभाग में जो कर्मचारी हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष हो उन्हें आगामी कार्यक्रम में पात्रता के अनुसार नामित करें। पात्रता(eligibility) संबंधी निर्देश इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान (working knowledge) प्राप्त हैं वे कृपया अपना नाम हिंदी भाषा के 'पारंगत' प्रशिक्षण हेतु नामित कराएं। कृपया अपने नामांकन विभाग प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में 05.07.2024 तक हिंदी विभाग को भेज दे। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी पात्रता अनुसार नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण हेतु प्राप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होने पर बीआईएस मुख्यालय में ही प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था रहेगी।

म. मान्दा
(विनोद कालरा)
प्रमुख (हिंदी)

बीआईएस मुख्यालय के सभी विभागों, एनआईटीएस, केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय को परिचालित।



आज्ञादी का अमृत महोत्सव



दूरभाष 011 : 26175246
Phone : 26191574
: 26191572
E-mail : ddhts-no-dol@nic.in

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)

HINDI TEACHING SCHEME (NORTH CENTRAL REGION)

खल्का/No.: ३/८/२०२२-२३/अनि. (म) / ७८७

दिनांक/ Date: २३.११.२०२४

मेवा में,

संपर्क अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,

दिल्ली, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश,

बिहार, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तरी संघर्ष।

प्रियार्थ :- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र के नियमित हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के गान्धीपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर)का गृह मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण, का नया सत्र जुलाई, 2024 वे पहले सप्ताह से प्रारम्भ किया जाएगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-१) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में १५ जुलाई, 2024 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र में हिंदी कक्षाएं ऑफलाइन चलाई जाएंगी। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यपत्रों देने वाले प्रशिक्षियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए:-

...../2-

हिंदी प्रशिक्षण हेतु पात्रता

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों नियमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाने हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	<p>यह प्रशिक्षण प्रारंभिक रूप से होता है। इसमें कनड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिनमें प्राइमरी स्तरकी हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।</p> <p>यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होते हैं। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडी, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगाली, असमिया और डिङ्गा भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिनमें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।</p>	<p>पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए है। एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी)</p> <p>-वही-</p>	<p>जो अधिकारी/कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0- 21034/66/2010-गभा (प्रशिक्षण) दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <p>-वही-</p>
प्रवीण				
प्राजा		<p>इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीनार भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी नहीं पर्याप्त है और जिनमें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण देने याच है।</p>	<p>पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (कक्षाएं जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा एं नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी)</p> <p>-वही-</p>	
पारंगत		<p>केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्थानिक अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक दोष के उपक्रमों सांविधिक निकायों/ उद्यमों/ अभियानों/ नियमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यमाध्यक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक इस प्रशिक्षण हाल पात्र हैं।</p>	<p>पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने के लिए है। एकांतर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा एं नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी)</p>	<p>जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0- 21034/69/2008/ गभा(प्रशिक्षण) दिनांक 21.12.2020 के अनुसार नकद पुस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।</p>

- जिन कर्मचारियों को कार्यालय में किसी प्रकार का सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियों लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, डाकिया, टेलीफोन औफिसर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सामान्यतः स्वयं किसी प्रकार का सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक होता है (जैसे, बैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यावरणिक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेभन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- सभी कार्मिक जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।
- राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-प्रशिक्षण दिनांक 06 जुलाई, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारियों के अनुसार वर्ग “घ” के कार्मिकों को वर्ग “ग” में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग “ग” के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग “घ” से वर्ग “ग” में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग “ग” श्रेणी के लिए निर्धारित गैंगेक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पारंगत की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुस्कार व वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक सञ्चायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर उप निदेशक (प.), हिंदियों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्व ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के.पुरप, नई दिल्ली-110006, (अनुलग्नक-11) खिजवाएं जिससे उनका विवरण सही-सही भरा जा सके।

2. परीक्षा संबंधी सूचना

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएंगी।
- नियमित व ग्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-11) में दिनांक 15.07.2024 तक उप निदेशक (गध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो प्रश्न पत्र होते हैं यथा-प्रश्न-पत्र-I व प्रश्न पत्र-II। इनकी परीक्षाओं की अवधि तीन-तीन घंटे की होगी और कुल अंक 100-100 की होगी। इसके अलावा ग्राइवेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए मार्गिक परीक्षा भी ली जाएगी।

3. परीक्षा शुल्क व भूगताम का माध्यम

- केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियन्त्रणार्थी उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी नियमित व ग्राइवेट कार्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।

4. पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप नियंत्रक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट लैंक' की website - www.onlineshi.com पर ऑनलाइन भी लगा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई मात्रा बड़ी पावनी रखी रख नियंत्रक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

3. पाठ्यपुस्तके

सभी प्रशिक्षार्थीयों को पाठ्यपुस्तके हिंदी शिक्षण योजना द्वारा नियंत्रक प्रदान की जाएगी है।

6. वित्तीय प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भाग्य सरकार द्वारा नियंत्रित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की विधीनि उत्तम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनावृद्धि के वरावर तरिका का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कक्षा में जनों के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से असे जाने वालां व्यापक मार्ग व्यवहार देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारमत की परीक्षा पास करने और नियंत्रित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुस्तकार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान भल्कुल शार्यात्मक हूता ही किया जाता है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रनिश्चित		
		55% से 59%	60% से 69%	70% या अधिक
1.	प्रबोध	₹ 400	₹ 800	₹ 1600
2.	प्रवीण	₹ 600	₹ 1200	₹ 1800
3.	प्राज्ञ	₹ 800	₹ 1600	₹ 2400
4.	पारमत	₹ 4000	₹ 7000	₹ 10000

प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुस्तकार के खेत्र में अंतर्काल जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का क्रा0ज्ञा0 सं0-21034/66/2010-ग0भा0 (प्रशिक्षा) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारमत परीक्षा के नकद पुस्तकार के संबंध में अंतर्काल जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का क्रा0ज्ञा0 सं0-21034/69/2008-ग0भा0 (प्रशिक्षा) दिनांक 21 दिसंबर 2020 देखें।

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12034/1/74-रा.भा.(व) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/ कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित भोगा तथा सब के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के अधार पर हर वाह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के संकाय सदस्य द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थीयों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

8. नया केंद्र खोलने के संबंध में

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिष्का में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो हर कक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 प्रशिक्षार्थीयों को नामित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उचित प्रशताव इस कार्यालय में दिनांक 15.07.2024 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, ग्रिमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करेंजिराये राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तार्डों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस पहल्वार्ष कार्ड में आपका सक्रिय सहयोग संगलीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहे तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवृद्धि बैठें।
- सभी मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह प्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिवर्तित करनाना सुनिश्चित करें।
- सभी मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित अर्द्ध जार्जिक रिपोर्ट (अनुसारक-II) समय पर भेजें।

**‘उपनिदिशक(मध्यांतर) के अंतर्गत संभावित हिन्दी प्रशिक्षण केंद्रों के नाम व पते’
(सन् जूलाई-नवंबर, 2024)**

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र
1.	हिन्दी शिक्षण योजना, मध्यांतर केंद्र, आर के पुरम, नई दिल्ली-66
2.	सीमा मड़बा भवन, नए मध्यांतर, रिय रोड, नई दिल्ली
3.	सध लोक संवाद आयोग, जापनगर राह उड़ा, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4.	तिहाड़ जेल परिषद, तिहाड़ जेल, लालगढ़नी गोड़न, नई दिल्ली
5.	रेल भवन, रेल भवालय, रायपुर भवन, नई दिल्ली।
6.	वायुसेना स्टेशन, तुलसीबाद, नई दिल्ली
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आर्कोटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूर्ण कैपस, नई दिल्ली।
8.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जीएलएनएस्टीडियम, नई दिल्ली।
9.	केंद्रीय सरकार स्मारक योजना सेक्टर - 13, आर के पुरम नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली
11.	भविष्य निधि संगठन भीकारी कामा प्लाज़ा, नई दिल्ली-110066
12.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली-22
13.	फुटवियर डिजाइन पण्डि डेवलपमेंट इन्डस्ट्रीज, हैमपृ. 24, नोएडा
14.	सी-डेक, सेक्टर-62, नोएडा
15.	56 प्राप्तवी, एयरफोर्स स्टेशन, छवुआ कोनारी, बल्लाभगढ़, फरीदाबाद
16.	सी. आई.एस.एफ., न्यू ग्रेस बॉलोनी टार्नरीया नोंक, बल्लाभगढ़, फरीदाबाद
17.	राष्ट्रीय सोमट व भवन सामग्री परिषद, किंला मधुता रोड, बल्लाभगढ़, फरीदाबाद
18.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, परम्पर्यमा कार वा कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़
19.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विं, वायुसेना तकाई अड्डा, चंडीगढ़;
20.	आईटी बी वी, भानु चण्डीगढ़
21.	सी आर की एफ, लालबास, जयपुर
22.	रीमा सुरक्षा बल, लखनऊ कैप, जयपुर
23.	सी आई एस एफ, आगर, जयपुर
24.	केंद्रीय रिजन्ट मुनिस बल, नैपली
25.	हिन्दी शिक्षण योजना जामू गंग्याल जम्मू

* संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार

संपर्क मूल्र

कार्यालय का भूता पता :

उपनिदेशक(मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना ,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ,
पूर्वी खंड-7, लोवल-6.
आर.के.पुम,
नई दिल्ली-110066 दूष्प्राप : 26175246, 26191572

डॉ० पी० बी० राधिका
सहायक निदेशक व कार्यालयध्यक्ष
मो० 9444622262
ई० मेल chti1185@nic.in
ddhts-nc-dol@nic.in

डॉ. श्री रामेश्वर लाल मीना
सहायक निदेशक
मो० 9018451848
ई० मेल-chti1272@nic.in

सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक का नाम	फोनाइल नम्बर	ई.मेल आई डी
1. श्रीमती नींबा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9899989821	chti1227@nic.in
2. श्री राजकुमार बाल्मीकी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9971953257	chti1260@nic.in
3. श्रीमती सीमा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9990197892	chti1267@nic.in
4. श्रीमती श्रीमा कुमार, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9840349234	chti1270@nic.in
5. श्रीमती सुनीता यादव, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9654009808	chti1284-dol@gov.in
6. सुश्री आकाशा मिश्रा, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	9710910570	chti1287-dol@nic.in
7. श्रीमती किण्ण लता यादव(हिंदी प्राध्यापक, (नई दिल्ली))	9844220163	chti1299-dol@nic.in
8. श्रीमती पूम्य, हिंदी प्राध्यापक, नई दिल्ली	9306096497	chti1305@nic.in
9. सुश्री सरोज बाला, हिंदी प्राध्यापक, (नई दिल्ली)	7976366754	chti1314-dol@gov.in
10. श्री राजेश कुमार मीना, सहायक निदेशक, (भग्नाली)	9460174143	chti1277@nic.in
11. श्री महेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (देहली, राज.)	9608155071	maheshgudli007@gmail.com
12. डॉ. श्रीमती अमिता सेना, सहायक निदेशक, (सराय)	8279230752	deurnilasaini21@gmail.com

सभी विभागाधारकों/संपर्क अधिकारियों में अनुग्रह है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड समिति भंजे साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/फेसम नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजे जिससे पत्राचार में सुविधा हो।
अधिक जानकारी के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,
१५.८.२०२३
(डॉ.पी० वी० राधिका)
सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन सं. 3/8/2023-उ.नि.(मध्योत्तर) पृष्ठ ४

दिनांक : २३.०८.२०२३

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ७वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी गोड़, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ७वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी गोड़, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (परीक्षा), आर. के.पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (भाषा), कार्यगाला/पत्राचार एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, २-ए, पृथ्वीराज गोड़, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), आर. के.पुरम, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू/चंडीगढ़/जयपुर/देवली (राजस्थान)

१५.८.२०२३
(डॉ.पी० वी० राधिका)

सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

अनुलग्नक-१

नाम्यन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालयका पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:

दिनांक

(हस्ताक्षर)

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित

.....
.....
.....
(कार्यालय की मोहर)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)

हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री/पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband's name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation of the candidate:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल आई.डी./दूरभाष	Full office address With E. mail id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण। Bank details of Examination Fees:	
दूरभाष: Phone/mobile	
ई-मेल आई.डी.: E-mail Id of the candidate	

Note: Please fill up this form in bilingual

टिप्पणी :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज् अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।				
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज् अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।				

5.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।						
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।						
6.	वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।						
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।						

कार्यालय अध्यक्ष का नाम.....

दूरभाष संख्या.....

ई-मेल

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर सहित

दूरभाष संख्या